



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092021-229887
CG-DL-E-23092021-229887

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3600]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 22, 2021/ भाद्र 31, 1943

No. 3600]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 22, 2021/BHADRA 31, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

(रिफाइनरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2021

का.आ. 3924(अ).—केंद्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में, तेलंगाना राज्य क्षेत्र के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की कृष्णपट्टनम – हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना के सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए, श्री एम. नारायाना राव (सेवानिवृत्त तहसीलदार) को प्राधिकृत करती है।

यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एल – 11025(15)/2/2020-ओआर-I/ई-33831]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**(Refinery Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd September, 2021

S.O. 3924(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby authorizes Shri M. Narayana Rao (Retd. Tahsildar) to perform the functions of Competent Authority(s) in the State of Telangana for Bharat Petroleum Corporation Limited's Krishnapatnam Hyderabad pipeline project under the said Act.

This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. R-11025(15)/2/2020-OR-I/E-33831]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.